प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) संख्या 3821/2006

याचिकाकर्तागण :

1. विजय कुमार अग्रवाल, उम्र 55 वर्ष, आत्मज ताराचंद अग्रवाल
2. अजय कुमार अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, आत्मज ताराचंद अग्रवाल
3. संजय कुमार अग्रवाल, उम्र 45 वर्ष, आत्मज ताराचंद अग्रवाल
4. अभय कुमार अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, आत्मज ताराचंद अग्रवाल
5. कृष्ण कुमार अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष, आत्मज ताराचंद अग्रवाल

सभी निवासी गद्दीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)
2. कलेक्टर, अंबिकापुर, सरगुजा, जिला सरगुजा (छ.ग.)
3. कु. निरुषा अग्रवाल, पिता रमेश चंद्र अग्रवाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी विद्यानगर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)
4. कैलाश कुमार बुधिया, पिता रामेश्वर प्रसाद बुधिया, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी सदर मार्ग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)

5. अनिल कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता बजरंगलाल अग्रवाल, निवासी जवाहर मार्केट, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)
6. गवर्नमेंट पी. जी. कॉलेज, अंबिकापुर, द्वारा प्राचार्य, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)
7. राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, (छ.ग.)

उपस्थित: श्री मनोज परांजपे, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता

श्री उत्कर्ष वर्मा, राज्य की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता

<u>मौखिक आदेश</u>

(पारित दिनांक 28.07.2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण के द्वारा कलेक्टर, अंबिकापुर जिला सरगुजा, जो यहां उत्तरवादी क्र. 2 हैं, के द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी है, जिसे द्वितीय अपील संख्या 1/ए-6/2004-05, के अंतर्गत दिनांक 17-07-2006 और 01-06-2006 को, कुमारी निरूषा अग्रवाल बनाम शासकीय पी.जी. कॉलेज, अंबिकापुर व अन्य के मामले में सुनवाई के दौरान पारित किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तरवादी क्र. 3 के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 30 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 01-06-2006 को आदेश पारित किया, जिसमें द्वितीय अपील संख्या 1/ए-6/2004-05 की फाइल को अतिरिक्त कलेक्टर, अंबिकापुर के यहाँ से वापिस लेते हुए स्वयं की फाइल की माध्यम से सुनवाई और निपटान के लिए अपने पास बुला लिया गया। प्रस्तुत याचिका में याचिकर्तागण, जो द्वितीय अपील संख्या 1/ए-6/2004-05 में प्रमुख उत्तरवादीगण हैं, को जब उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-06-2006 के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ, तब उनके द्वारा, दिनांक 26-06-2006 को उत्तरवादी क्र. 2 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उत्तरवादी क्र. 2 से यह अनुरोध किया गया कि वह अपने आदेश दिनांक 01-06-2006 को वापस लेते हुए, उत्तरवादी क्र. 3 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नए सिरे से विचार करे और एक उचित आदेश पारित करे। उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा उक्त आवेदन को भी आदेश दिनांक 17-07-2006 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों दिनांक 01-06-2006 और 17-07-2006 से व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण द्वारा 20-07-2006 को संहिता की धारा 50 के तहत राजस्व मंडल के समक्ष

पुनरीक्षण याचिका दायर किया गया है और उक्त पुनरीक्षण याचिका सुनवाई हेतु लंबित है। ऐसी परिस्थिति में, याचिकाकर्तागण द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा पारित उपरोक्त दोनों आदेशों को रद्द करने के उद्देश्य से यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. मैंने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे और उत्तरवादीगण/राज्य शासन के विद्वान उप-सरकारी अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा को सुना है। श्री परांजपे के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, उत्तरवादी क्र. 2 को केवल उत्तरवादी क्र. 3 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, याचिकर्तागण को बिना किसी पूर्व सुचना दिए और, बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए ही द्वितीय अपील संख्या 1/ए-6/2004-05 को अतिरिक्त कलेक्टर, अंबिकापुर के कार्यालय से वापिस नहीं लेना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संहिता की धारा 30 में ऐसी कोई परिस्थिति या आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके तहत यहाँ उल्लिखित राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी मामले के स्थानांतरण या वापसी की शक्ति का प्रयोग किया जाना है, किन्तु, इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग यहाँ उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा केवल किसी इच्छुक पक्षकर के द्वारा मांग किये जाने के आधार पर किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि संहिता की धारा 30 के तहत राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायोचित रूप से किया जाना आवश्यक है, न की मनमौजी या मनमाने ढंग से। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि संहिता की धारा 30 विशेष रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का प्रावधान नहीं करती है, फिर भी इसके अंतर्गत नामित प्राधिकारियों को इस धारा के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किये जाने के पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा 01-06-2006 को पारित आदेश को यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान उप-सरकारी अधिवक्ता ने, इसके विपरीत, तर्क दिया है कि धारा 30 के तहत निर्दिष्ट राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त अधिकार एक प्रशासनिक अधिकार है न की अर्ध-न्यायिक, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, इसलिए, इस धारा के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किये जाने के पूर्व उसमे नामित प्राधिकारियों के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किये जाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संहिता की धारा 30 की उप-धारा (1) इस प्रकार है:

"**30 अधीनस्थों को तथा उनके पास के मामले अंतरित (1)** एक कलेक्टर, एक उप-खंड अधिकारी, या एक तहसीलदार इस संहिता या किसी अन्य लागू अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या वर्ग के मामलों को अपने स्वयं के फाइल से निर्णय के लिए किसी भी राजस्व अधिकारी को सौंप सकता है जो ऐसे मामले या वर्ग के मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, या किसी

भी ऐसे राजस्व अधिकारी से किसी भी मामले या वर्ग के मामलों को वापस ले सकता है और ऐसे मामले या वर्ग के मामलों से स्वयं निपट सकता है या उसे निपटान के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य राजस्व अधिकारी के समक्ष भेज सकता है जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर निर्णय लिए जाने हेतु सक्षम है।"

4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ए.के. क्रेपैक बनाम भारत संघ**[1] मामले में दिए गए फैसले के उपरांत, हालांकि अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही के बीच का अंतर धुंधला हो गया है और शायद अब इसका कोई व्यावहारिक महत्व न रह गया हो, फिर भी यह किसी परिस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागु किये जाने के माप का निर्धारण किये जाने के लिए आज भी प्रासंगिक है। अब, यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, चाहे किसी प्रशासनिक कृत्य की प्रकृति जैसी भी हो, चाहे वह अर्ध-न्यायिक हो या विशुद्ध रूप से प्रशासनिक हो, ऐसी कार्यवाही जब किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों को प्रभावित करती हो, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को ऐसी किसी भी कार्यवाही किये जाने के पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी कार्यवाही के पूर्व उससे प्रभावित व्यक्ति को सूचित किया जाना एक संवैधानिक सिद्धांत है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में निहित होता है। सर्वोच्च न्यायालय का **ए.के. क्रेपैक बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त[1])** मामले में, यह अभिमत था कि, यह निर्धारित करने के लिए कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही अर्ध-न्यायिक है अथवा प्रशासनिक, सबसे पहले उस कार्यवाही की प्रकृति को देखना होगा, और उससे होने वाले परिणाम को देखना होगा, ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जिसे प्रशासनिक ढांचे के भीतर यह देखने हेतु प्राधिकृत किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम एस.एम.के. परसुरामा गुरुकुल**[2] मामले में, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए की क्या सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश हिंदू धार्मिक संस्थाएं और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1966 की धारा 15 के तहत न्यासी नियुक्त करने की कार्यवाही अर्ध-न्यायिक है या प्रशासनिक, न्यायालय ने माना है की यह कार्यवाही प्रशासनिक है और यह राय दी है कि यदि पक्षकारों के बीच कोई विवाद है, तब इस पर की जा रही कार्यवाही अर्ध-न्यायिक है, अन्यथा प्रशासनिक इसका निर्धारण वस्तुपरक समाधान के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने **गोविंदभाई गोवर्धनभाई पटेल बनाम गुलाम अब्बास मुल्ला अलीभाई**[3] मामले में यह विचार दिया था कि, चूँकि कलेक्टर को किसी भी पक्ष के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1947 की धारा 63(1) के अंतर्गत कलेक्टर के द्वारा किसी गैर-कृषक को भूमि हस्तांतरण की अनुमति दिए जाने या रोके जाने का कृत्य प्रशासनिक माना जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा **कृष्णा टाइल्स एंड पॉटरीज (पी) लिमिटेड बनाम कंपनी लॉ बोर्ड**[4] में, उपरोक्त मानदंडों को लागू करते हुए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1] (1969) 2 SCC 262 : AIR 1970 SC 150
[2] (1973) 2 SCC 232 : AIR 1973 SC 2237
[3] (1977) 3 SCC 179 : AIR 1977 SC 1019
[4] ILR (1979) 1 Del 435

यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा शेयरधारकों को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किये जाने का अधिकार देना एक प्रशासनिक कृत्य है न कि अर्ध-न्यायिक। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **राम अवतार शर्मा बनाम हरियाणा राज्य**[5] मामले में यह निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10, 12(5) और 11-ए के अंतर्गत सरकार के द्वारा विवाद के समाधान हेतु उसे लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भित किया जाना या ऐसा किये जाने से अस्वीकार किये जाने का कृत्य प्रशासनिक प्रकृति का है। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजा राम जायसवाल**[6] मामले में, यह निर्धारित किया है कि लाइसेंस प्रदान करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रशासनिक प्रकृति का है।

5. उपरोक्त संदर्भित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में, जब आप संहिता की धारा 30 की उप-धारा (1) के प्रावधानों को देखते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कलेक्टर को प्रदत्त उक्त शक्ति प्रकृति में प्रशासनिक है। जब एक कलेक्टर किसी मामले को स्थानांतरित करने या वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह कार्यवाही किसी भी तरह से मामले के पक्षकारों के किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित या दूषित नहीं करती है। यह सच है कि कुछ मामलों में मामले को स्थानांतरित करने या वापस लेने से ऐसे मामले के किसी पक्षकार को असुविधा हो सकती है, लेकिन केवल उस आधार पर कलेक्टर को प्रदत्त शक्ति को प्रकृति में अर्ध-न्यायिक नहीं माना जा सकता है। चूंकि कलेक्टर द्वारा अपनी फाइल से किसी मामले को स्थानांतरित करने या किसी अन्य अधिकारी की फाइल से अपनी फाइल में मामला वापस लेने के लिए दिया जाने वाला आदेश ऐसे मामले के किसी भी पक्षकारों के किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित या दूषित नहीं करता है, अतः ऐसे किसी भी आदेश को जारी किये जाने के पूर्व नोटिस प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह सच है कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत कलेक्टर को प्रदत्त शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, ऐसी अवस्था में कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह उस शक्ति का प्रयोग उचित और निष्पक्ष रूप से करे न की मनमाने ढंग से। वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर के द्वारा मनमाने ढंग से और बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। वर्तमान मामले में, उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा उत्तरवादी क्र. 3 के शिकायतों के आधार पर कि, अतिरिक्त कलेक्टर, अंबिकापुर द्वारा अपील के निपटान में काफी देरी हुई है और अपील की जल्द सुनवाई और निपटान की तत्काल आवश्यकता है, ऐसे परिस्थिति में उत्तरवादी क्र. 2 के द्वारा अपील प्रकरण की फाइल को अतिरिक्त कलेक्टर, अंबिकापुर के कार्यालय से वापिस लेते हुए स्वयं की फाइल के माध्यम से शीघ्र

---

[5] AIR 1985 915 : (1985) 3 SCC 189
[6] AIR 1985 SC 1108 : (1985) 3 SCC 131

सुनवाई या निपटान किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित था। उत्तरवादी क्रमांक 2 के ऐसे कृत्य को मनमाना या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।

7. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों के आधार पर, वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है, हालांकि, व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

हस्ता./

मुख्य न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... Ujjwal Choubey**.....**